

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग  
क्रमांक-एफ.26(19)आयु./2017 जयपुर दिनांक :


17 MAY 2018

-: आदेश :-

डॉ. रोहित शर्मा, नव नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी का पदस्थापन राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बदौडामेव, जिला अलवर में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

विभाग के आदेश क्रमांक 10(8)आयु./2015 पार्ट दिनांक 15.06.2017 के द्वारा श्री ओम प्रकाश वर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, रूपाहेली कलां (भीलवाडा) के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, बडौदामेव, जिला-अलवर में कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री ओम प्रकाश वर्मा, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करे।

आज्ञा से,

  
(कुन्दन कुमार माथुर)  
शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प.1/प्रति 1/प्रति-1/चिकि0/स्थाना0/2018/ 7847

दिनांक 18.05.2018

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0 जयपुर
2. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
3. अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर/अजमेर
4. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग जिला, अलवर/भीलवाडा
5. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, श्री रोहित शर्मा हाल आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को आज दिनांक 18.05.2018 को मध्यान्ह बाद कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थान पर देवे।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सम्बन्धित कार्यालय को जरिये ई-मेल भिजवाने हेतु।
7. सामान्य पत्रावली

  
(स्नेहलता पंवार)  
निदेशक